

रेरा पंजीकरण संख्या:- UPREAPRJ436367/10/2024 | रेरा वेबसाइट- up-rra.in
रेरा संबंधित जानकारी के लिए QR Code Scan करें



हमारा प्रयास, आपका आवास

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

लाया है, दीपावली के शुभ अवसर पर वृन्दावन योजना संख्या-4, सेक्टर-20 लखनऊ में
सामान्य पंजीकरण-2024 के अन्तर्गत

आवासीय भूखण्डों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

ये दीपावली
खुशियों वाली

ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि

दिनांक 01 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक

आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन
में भूखण्ड के कुल मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर **5% की विशेष छूट**

कुल
284 भूखंड
उपलब्ध

300 | ₹214.69
वर्ग मीटर | लाख से प्रारम्भ

पंजीकरण धनराशि (₹ लाख में)
10.73 (सामान्य श्रेणी) | 5.37 (आरक्षित श्रेणी)

200 | ₹143.16
वर्ग मीटर | लाख से प्रारम्भ

पंजीकरण धनराशि (₹ लाख में)
7.16 (सामान्य श्रेणी) | 3.58 (आरक्षित श्रेणी)

147.92 | ₹105.91
वर्ग मीटर | लाख से प्रारम्भ

पंजीकरण धनराशि (₹ लाख में)
5.29 (सामान्य श्रेणी) | 2.65 (आरक्षित श्रेणी)

137.60 | ₹98.53
वर्ग मीटर | लाख से प्रारम्भ

पंजीकरण धनराशि (₹ लाख में)
4.93 (सामान्य श्रेणी) | 2.47 (आरक्षित श्रेणी)

क्र.सं.	UP RERA Collection Account No.	बैंक का नाम एवं पता	संबंधित अधिकारी का नाम	दूरभाष सं0
01	A/c No. : 730901000121	ICICI Bank Ltd. UGF Sanjar Gold Sector-20 Vrindavan Colony Lucknow	श्री सुनील कुमार मिश्रा श्री धीरज कुमार श्री सौम्य त्रिवेदी	8853000720 7388199639 9454850549



भूखण्ड की बुकिंग के लिए
QR कोड स्कैन करें
अथवा वेबसाइट
www.upavp.in
पर विजिट करें

नियम एवं शर्तें: 1. आवंटक भारत का नागरिक हो। 2. आवंटक की अपु आवंटन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष से कम न हो। 3. ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवंटक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुखपृष्ठ (Homepage) के लिंक 'Online Registration For plots/houses/flats' पर क्लिक करेंगे। 4. शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे। 5. प्रथम चरण में एकमुस्त भूगतान करने का विकल्प देने वाले आवंटकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। अंक के उपरान्त यदि समूची शेष रह जाती है तो किसी भी भूगतान का विकल्प देने वाले आवंटकों के मध्य सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से करवाई की जाएगी। 6. आवंटन मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही किये जाएंगे। 7. किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। 8. ऑनलाइन आवंटन तथा विकृत नियम व शर्तें देखने के लिए परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर Login करें।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए बायल कर
(टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803

UPHousingBoard
info@upavp.com | www.upavp.in

